दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 26 नवंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 59

महत्वपूर्ण एवं खास

कार ट्रक से टकराई, महिला की मौत, पुत्र एवं चालक घायल

भीलवाड़ा (आरएनएस)। राजस्थान में भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में कार की आगे चल रहे ट्रक से टकराजाने से एक महिला की मौत हो गई तथा उसका पुत्र एक कार चालक घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि चंद्रवरदाई सियाराम नगर, अजमेर निवासी लता कुमावत, बेटे अक्षय कुमार एवं चालक मुकेश कुमार के साथ निजी कार से कल शाम सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रही थी। इस दौरान गुलाबपुरा थाने के तस्वारिया तिराहे के पास आगे चल रहे ट्रक को चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिये। इसके चलते कार असंतुलित होकर ट्रक से टकरा गई। कार में सवार लता कुमावत, बेटे अक्षय एवं चालक मुकेश को गंभीर चोट आई। लता कुमावत को एम्बुलेंस से जेएलएन अजमेर लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। अक्षय एवं चालक मुकेश के गम्भीर चोट के कारण उन्हें भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद लता का शव परिजनों को सौंप दिया। गुलाबपुरा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी।

संतान पैदा करने के लिए महिला ने बच्चे की हत्या कर पीया खून, तांत्रिक ने की ये हरकत

बरेली (आरएनएस)। बरेली की एक अदालत ने 33 वर्षीय नि:संतान महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसने तांत्रिक के नाम पर अपने पड़ोसी के 10 वर्षीय बेटे की हत्या कर उसका खून पी लिया था। महिला का मानना था कि इससे उसे संतान पैदा करने में मदद मिलेगी। महिला के प्रेमी और अपराध में उसकी मदद करने वाले उसके चचेरे भाई को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। वारदात 5 दिसंबर, 2017 को रोजा थाना क्षेत्र के जमुका गांव में हुई थी। धन देवी ने अपने प्रेमी सूरज और चचेरे भाई सुनील कुमार की मदद से अपने पड़ोसी के बेटे का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी। घटना के तीन दिन बाद 8 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील विनोद शुक्ला ने कहा, यह एक भयानक अपराध था। महिला ने पहले बच्चे का खून निकाला, उसे अपने चेहरे पर लगाया और उसे मारने से पहले खून की कुछ बूंदें पी लीं। अपनी गिरफ्तारी के बाद महिला ने जांच अधिकारी को बताया कि शादी के छह साल बाद भी गर्भधारण करने में विफल रहने के बाद एक तांत्रिक के कहने पर ऐसा किया। ससुराल में तानों से तंग आकर धन देवी पीलीभीत जिले के माधोटांडा निवासी अपने पति धर्मपाल को छोडक़र शाहजहांपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां रहने लगी थी, जहां तांत्रिक से उसकी मुलाकात हुई। बच्चे के परिवार ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी।

जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद प्रशासन ने मस्जिद में अकेली लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को आज वापस ले लिया है। इससे पहले जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अकेली एवं समूह में आने वाली लड़कियों के मस्जिद में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। उपराज्यपाल वी के सक्सैना ने जामा मस्जिद के शाही इमाम से इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था। इसके बाद में शाही इमाम ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस फैसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी थी और महिला अधिकार संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने तीखी आलोचना की थी। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इसे एक शर्मनाक और असंवैधानिक कृत्य बताया था। उन्होंने ट्विटर पर कहा था, जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह गलत है। मैं इस फैसले को लेकर जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं। किसी को भी मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।

मुख्यमंत्री ने एनपीएस की राशि, जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई

- कहा, राज्य का अंश 'पृथक पेंशन निधि' में किया जाएगा जमा, प्रतिभूतियों में होगा निवेश
- कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह
- कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की
- धान, बारदाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा
- बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखे कई प्रस्ताव

नई दिल्ली/ रायपुर (आरएनएस)। बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा। बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी (मिलेट्स) की खेती प्रमुखता से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी वर्ष 2023 को 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट' घोषित किया गया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो एवं कुटकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की तर्ज पर विपणन केन्द्रों की स्थापना की मांग की ताकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु वनोपज उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने सहित रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी बैठक में दिये।

धान, बारदाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा - मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में 57 लाख मीट्रिक टन अरवा व 4 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 14 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ उन्होंने नए जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की।

सरकार ने राज्यों को 17,000 करोड़ का जीएसटी मुआवजा किया जारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 2022-23 के दौरान उपरोक्त राशि सहित अब तक राज्यों को जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपए है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्तूबर, 2022 तक कुल टैक्स कलेक्शन केवल 72,147 करोड़ रुपए है और शेष 43,515 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके साथ ही सरकार ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस वर्ष मार्च के अंत तक अनुमानित टैक्स की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है। यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजी पर व्यय सफलतापूर्वक किया जाता है।

देश को मिली 'फाइव आर्म्स', भारत बायोटेक की बूस्टर खुराक को डीसीजीआई ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना से चल रही जंग के बीच देश को आज एक और नई वैक्सीन मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम है 'फाइव आर्म्स'। जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक की इंट्रानेसल कोविड बूस्टर खुराक 'फाइव आर्म्स' को हरी झंडी मिल गई है। आज ही औषधि महानियंत्रक ने इस वैक्सीन को सीमित उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दी है। अब लोगों को इंजेक्शन की जगह नाक के रास्ते कोरोना वैक्सीन दी जाएगी।

वहीं इस बारे में भारत बायोटेक का कहना है कि ये नेजल डोज अब तक इस्तेमाल की जा रहीं अन्य कोरोना रोधी वैक्सीन से बिल्कुल अलग होने के साथ ही ज्यादा प्रभावी भी है। आसान शब्दों में समझाएं, तो ये वैक्सीन नाक के जरिए शरीर में पहुंचेगी, इसलिए नाक के भीतर प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करके वायरस के प्रवेश करते ही उसे खत्म कर देगी। ऐसे में शरीर के अंदर दूसरे अंगों तक वायरस पहुंच ही नहीं पाएगा।

अब 4 साल की होगी ग्रेजुएशन! कॉलेज में दाखिले के लिए बदल गए नियम

मुंबई (आरएनएस)। 2023-24 से शैक्षणिक सत्र में यूनिवर्सिटी एडमिशन को लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे है। अगर आपको कालेज में एडमिशन भी लेनी है तो उसके लिए वोटर कार्ड जरूरी होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान भी कर दिया है।

सरकार ने कालेज में दाखिले के लिए वोटर कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है, तो आपके पास वोटर आई-कार्ड होना जरूरी है। इसके बिना आप महाराष्ट्र के कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। युवाओं में मतदान यानी वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र उच्च एवं तकनीकि शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की घोषणा की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की बैठक बुलाई थी। इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इसी बैठक में इन नए नियमों का ऐलान किया गया।

इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीकांत देशपांडे ने भी सभी महाराष्ट्र की सभी यूनिवर्सिटी से अपील की कि वे कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाएं। ताकि स्टूडेंट्स चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। गौरतलब है कि फिलहाल राज्य में 90 फीसदी यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट से बाहर हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार 3 साल की ग्रेजुएशन खत्म करने का भी ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगले एकेडेमिक ईयर से डिग्री कोर्स चार साल के होंगे। केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी 2020) के तहत इसे लागू किया जा रहा है।

यूनिवर्सिटी और कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए सरकार पूर्व वीसी की कमेटी बनाने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स का प्रावधान किया गया है। इसमें हर साल में स्टूडेंट्स को एग्जिट ऑप्शन देने का भी नियम है। एक साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमाज् इसी तरह चार साल पूरे करने पर डिग्री दी जाएगी। स्टूडेंट्स कभी भी कोर्स छोड़ सकते हैं और कभी भी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार जल्द इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन तैयार करेगी।

असम-मेघालय सीमा पर गोलीबारी : शिलांग में भड़की छिटपुट हिंसा

शिलांग (आरएनएस)। शिलांग और उसके बाहरी इलाकों में बीती रात हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं, जबकि असम से मेघालय तक वाहनों की आवाजाही गुरुवार को तीसरे दिन भी स्थगित रही। अधिकारियों ने कहा कि मेघालय में फंसे पर्यटकों को वापस असम ले जाया जा रहा है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक यातायात पुलिस बूथ में आग लगा दी गई, सुरक्षा बलों को ले जा रही एक बस पर हमला किया गया और एक पुलिस जिप्सी वाहन में तोडफ़ोड़ की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों पर एक पेट्रोल बम फेंका गया, जो पाइन माउंट की ओर वाहनों को मोड़ रहे थे।

शिलांग में एक कैंडललाइट मार्च का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने असम पुलिस और मेघालय सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला।

चार नागरिकों पर हमला किया गया

और तीन महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की गई और उन्हें मामूली चोटें आईं। घायल नागरिकों में से एक को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हिंसक भीड़ को बारिक प्वाइंट की ओर आने से रोकने के लिए पुलिस को आंसूगैस के गोले दागने पड़े।

मुक्रोह गांव के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पांच दबाव समूहों द्वारा आयोजित धरने प्रदर्शन के मद्देनजर शहर में गुवाहाटी-शिलांग रोड और ख्यांदैलद (पुलिस बाजार) इलाकों में दुकानें बंद हैं। शिलांग और उसके बाहरी इलाकों में गुरुवार की छिटपुट हिंसा असम पुलिस द्वारा मंगलवार को की गई गोलीबारी का परिणाम है, जिसमें मेघालय के पांच नागरिक और पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में असम के एक वन रक्षक की मौत हो गई थी।

मेघालय सरकार ने गुरुवार को 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को शनिवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया।

शिलांग पूर्वी खासी हिल्स जिले में पड़ता है। इस बीच, जिला उपायुक्त ने एक बयान में राज्य में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के कारण विभिन्न पेट्रोलियम आउटलेट्स पर लंबी कतारों को देखते हुए स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है।

बयान में कहा गया है कि तेल कंपनियों, वितरकों और राज्य के बाहर के टैंकर चालकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेट्रोलियम की आपूर्ति जिले के इलाके तक पहुंचे और जनता को परेशानी न हो।

पुरानी दिल्ली के भागीरथ पैलेस बाजार में भीषण आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। पुरानी दिल्ली के भागीरथ पैलेस बाजार में बीती शाम भीषण आग लग गई और बिजली के सामानों के थोक बाजार में दमकल विभाग के 35 टेंडर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक, रात करीब 9.20 बजे एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली।

उन्होंने कहा, आग भागीरथ पैलेस मार्केट में गुरुद्वारा के पास दुकान संख्या 1868 में लगी। अब तक 35 दमकल गाडिय़ों को घटनास्थल पर भेजा गया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

आग बाद में अन्य दुकानों में फैल गई और लगभग 20 दुकानें आग की चपेट में आ गईं। दमकलकर्मी आग को और फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि इलाके की संकरी गलियां दमकल की गाडिय़ों के घटनास्थल तक पहुंचने में बाधा बन रही हैं।

गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक - राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति लागू

जयपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम में संशोधन, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के प्रस्ताव पर अनुमोदन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 का अनुमोदन- मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 का अनुमोदन किया है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की पालना में तैयार योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाईयों यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा। वहीं, देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।

योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाईयों की स्थापना एवं संचालन के प्रावधानों में, इकाईयां 15 फीट चौड़ी सडक़ पर न्यूनतम 1000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 2 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होंगी। इन इकाईयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट सहित कई प्रावधान किए गए है।

राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 का अनुमोदन- मंत्रिमंडल बैठक में 'राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022' का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों एवं बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाया जाएगा।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम में संशोधन- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन से अनुसूचित जाति/जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों (भूतपूर्व सैनिकों के अलावा) का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती नियमों में भर्ती उपरांत, उनका समायोजन उनसे संबंधित श्रेणी में किया जाता है। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं, का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरूद्ध रिक्तियां एक भर्ती वर्ष तक अग्रेषित (कैरी फॉरवर्ड) की जाती रहेगी।

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में संशोधन- मंत्रिमंडल में राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार, प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति के वर्तमान प्रावधान को संशोधित कर 40 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 60 प्रतिशत पदोन्नति से किया जा सकेगा। इससे सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे।